

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रशासन पत्रों के रूप दिनांक 1-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ज्ञानमठ व भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानमठ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का जानमठ तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-77 में खाता संख्या 37 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

| क्रम संख्या | ग्राम      | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 1           | 2          | 3           | 4                          | 5  |
| 1           | रघुनाथपुरा | 37          | प्रभू पुर हजारीनाथ         | प्रभूनाथ पि. हजारी नाथ                                       |

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक: 9/11/21

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 66

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी  
न्यायालय अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा  
करेड़ा